न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 184/2022

अनवान : –

1. विकास पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. भादरसिंह
2. प्रेम कुमार
3. बलराम
4. इन्द्रा
5. सीमा
6. धापा

पुत्र पुत्रीयान स्व0 परमेश्वरी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
9. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: -28/11/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 291/501 की कुल 4.0460 हैक्ट भूमि परमेश्वरी पत्नी लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में से 10120 हैक्ट भूमि दिनांक 03.06.2012 को वादी द्वारा परमेश्वरी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर के समस्त प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की गई है तथा सायल द्वारा खरीद की गई भूमि पर सायल को कब्जा संभाल दिया गया है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरी के नाम दर्ज है। परमेश्वरी का देहांत हो चुका है। परमेश्वरी के जायंज वारिसान गैरसायल संख्या 1 ता 6 है। उक्त वाद भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि के सायल खातेदार काश्तकार है एवं 3.0340 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 6 खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 1 ता 6 उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रहन, बैय करना चाहते है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थिति नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से 10120 हैक्ट भूमि दिनांक 03.06.2012 को वादी द्वारा परमेश्वरी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर के समस्त प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की गई है तथा सायल द्वारा खरीद की गई भूमि पर सायल को कब्जा संभाल दिया गया है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरी के नाम दर्ज है। परमेश्बरी का देहांत हो चुका है। परमेश्वरी के जायज वारिसान गैरसायल संख्या 1 ता 6 है। उक्त वाद भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि के सायल खातेदार काश्तकार है एवं 3.0340 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 6 खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 1 ता 6 उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर रहन, बैय करना चाहते है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि दिनांक 03.06.2012 को वादी द्वारा परमेश्वरी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर के समस्त प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के अनुसार उक्त वाद भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि सायल की खरीद की गई है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई साबित होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 291/501 की कुल 4.0460 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:27 IST
Reason: SelfAttested